CSWCJS

सामाजिक कार्य और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रमाणपत्र

(सीएसडब्ल्यूसीजेएस)

सत्रीय कार्य-2024

समाज कार्य विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

सत्रीय कार्य भेजने के लिए अनुसूची

प्रिय विद्यार्थी

हमें उम्मीद है कि आप सीएसडब्ल्यूसीजेएस कार्यक्रम मार्गदर्शिका को ध्यानपूर्वक पढ़ चुके होंगे। हमने इस मार्गदर्शिका में यह समझाया है कि इग्नू को सत्र–समाप्ति की परीक्षा में पात्र बनने के लिए दिये गये सत्रीय कार्य को निश्चित समयाविधि में पूरा करना आवश्यक है। सीएसडब्ल्यूसीजेएस के सभी सत्रीय कार्य अध्यापक चिन्हित सत्रीय कार्य (टीएमए) एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको अलग–अलग सत्रीय कार्य, MSW–031 और MSW–032 दिये जा रहे हैं। (जनवरी 2024 और जुलाई 20241 पेशेवर समाज कार्य के मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता का वर्णन करें। चर्चा करना के लिए पंजीकृत छात्रों के लिए)।

सत्रीय कार्य लिखने से पहले, आप कार्यक्रम मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देश और पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उत्तर लिखने से पहले सत्रीय कार्य सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढें। अगर आपको पाठ्यक्रम और सत्रीय कार्य से सम्बन्धित कोई सन्देह या समस्या है तो आप अपने अध्ययन केन्द्र में सम्बन्धित शैक्षिक सलाहकार से सम्पर्क करें।

आपसे अनुरोध है कि आप पहले पाठ्यक्रम सामग्री को पढें और तब उसके बाद सत्रीय कार्य को निर्देशों के अनुसार तैयार करें। आपके उत्तर, शाब्दिक सामग्री/ब्लॉक जो आपको स्वयं के सीखने के उद्देश्य से दी गयी है से शब्दशः नकल नहीं होना चाहिए। **सत्रीय कार्य हस्तलिखित और स्वहस्ताक्षरित होने चाहिएं।** कृपया अपने सत्रीय कार्य के उत्तर दी गयी तारीख के पहले जो कि आपकी रसीद पर उल्लेखित है, अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा करें। आप से उम्मीद की जाती है कि आप सत्रीय कार्य की एक कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी भविष्य में किसी भी सन्दर्भ या प्रयोग के लिए रखें।

सत्रीय कार्य जमा करने से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए इग्नू वेबसाइट www.ignou.ac.inदेखें।

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।

(डॉ बिनोद कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
ई मेल binodkumar@ignou.ac.in
cswcjsinfo@ignou.ac.in

सुधारात्मक परिवेशों में समाज कार्य अंतःक्षेप (एम.एस.डब्ल्यू. –031)

पाठ्यक्रम कोड : एम.एस.डब्ल्यू.–031

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्ही **पांच** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग **500** शब्दों में) दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. पेशेवर समाज कार्य के मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता का वर्णन करें। सुधारात्मक समाज कार्य अभ्यास में नैतिकता के महत्व पर चर्चा करें। 20

2. बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और इस अधिनियम के तहत स्थापित विभिन्न प्रकार की सुधारात्मक संस्थाओं पर चर्चा करें। 20

3. सुधारात्मक सेटिंग में सामाजिक वैयक्तिक कार्य के दायरे और प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भारतीय संदर्भ में उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 20

4. एक व्यक्ति को व्यवस्थित पेशेवर मदद के साधन के रूप में परामर्श प्रक्रिया की व्याख्या करें । सुधारात्मक सेटिंग्स से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 20

5. सामाजिक कार्य में साक्षात्कार के उद्देश्य, संरचना और प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। 20

6. समूह कार्य से आप क्या समझते हैं? समूह विकास की प्रक्रियाओं और चरणों पर चर्चा करें। 20

7. समूह कार्यकर्ता की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व क्या हैं? समूह कार्यकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें और कौशल पर चर्चा करें। 20

8. 'कार्यक्रम नियोजन' की अवधारणा से आपका क्या तात्पर्य है? कार्यक्रम नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। 20

समाज कार्य और आपराधिक न्याय (एम.एस.डब्ल्यू.–032)

पाठ्यक्रम कोड : एम.एस.डब्ल्यू.–032

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्ही **पांच** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग **500** शब्दों में) दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं? अपराध न्यायशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें। 20

2 किशोर अपराध के संबंध में अपराध विज्ञान के पारिस्थितिक स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? 20

3. भारतीय दंड संहिता, 1860 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। 20

4. भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के ऐतिहासिक विकास का पता लगाएँ। 20

5. भारतीय संदर्भ में आपराधिक न्याय की एजेंसी के रूप में पुलिस की व्याख्या करें। 20

6. भारत में निर्दोषता का अनुमान आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला है । विस्तार से चर्चा करें.। 20

7. आरोप तय करने से आप क्या समझते हैं? भारत में आपराधिक न्याय प्रक्रिया.में इसके महत्व पर चर्चा करें। 20

8. भारत में कैदियों के अधिकार. के मुद्दों को आगे बढ़ाने में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। 20